निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 18/2021
दायरा दिनांकः—17.06.2021
निर्णय दिनांकः— 29.1.25

उनवान

1. मांगीलाल आयु 77 वर्ष पुत्र चतुर्भज जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. कृष्णगोपाल भार्गव आयु 73 वर्ष पुत्र चतुर्भज जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कृष्णगोपाल भार्गव — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188, आर. टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा नंनबर 1247/431 की 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादीगण के खाते एव कब्जे काश्त में दर्ज है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है व लगान जमा कराते आ रहे है, यह भूमि वाके ग्राम निपानिया में स्थित है। उक्त भूमि में माफी पटेलाई लिखा हुआ है। माफी जप्त हो गई तथा जो काश्त करते है उनके खाते दर्ज करने का आदेश हुआ था भूमि खाते में दर्ज हो गई लेकिन माफी पटेलाई शब्द नहीं हटा है। वादीगण के नाम के आगे माफी पटेलाई लिखा हुआ है, जिससे उस जमीन पर न तो लोन मिलता है, नहीं कोई विकास कर सकते है। वादीगण अपने आगे लिखी माफी पटेलाई शब्द को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार माफी जप्त होने पर एवं उसके बावजूद माफी पटेलाई शब्द नहीं हटने से उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074—77 खाता संख्या 495 पेश की गई। साक्ष्य प्रार्थी में मांगीलाल व कृष्णगोपाल के बयान कराये गयें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है। जो वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है उक्त भूमि में माफी पटेलाई लिखा हुआ है माफी जप्त हो गई जो काश्त करतें थे उनके खाते दर्ज करने का आदेश हुआ था भूमि खाते दर्ज हो गई परन्तु माफी पटेलाई शब्द नही हटा है वादीगण के नाम के आगे माफी पटेलाई शब्द लिखा हुआ है जिसमें भूमि पर ना तो लोन मिलता है और ना ही कोई विकास कर सकतें है वादी के नाम से साथ अंकित माफी पटेलाई शबछ हटाया जावें। माफी पटेलाई शब्द अंकित होने है प्रार्थी/वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है वादीगण राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं के लाभ से वंचित होना ड रहा है वादी का वाद/प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक रिपोर्ट ग्राम निपानिया की आराजी खसरा नम्बर 1247/431 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् 0.4805 है भूमि कृष्णगोपाल मांगीलाल पुत्र चतुर्भज का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं रिकार्ड अनुसार सेटलमेन्ट जमाबन्दी अनुसार खाता माफी पटेलाई कृष्णगोपाल, मांगीलाल पुत्र चतुर्भज जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज है वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 487 खसरा नम्बर 1247/431 रकबा 0.4805 है0 भूमि प्रार्थीगणों के ही नाम माफी पटेलाई में दर्ज है तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट में खातेदारों की आराजी भूमि पर सेटलमेन्ट के बाद से आज दिनांक तक कृष्णगोपाल मांगीलाल पुत्र चतुर्भज जाति ब्राहम्ण के वारिसानों का ही कब्जा है उक्त भूमि बेचान नही है ना ही बेचान से प्राप्त हुई है उक्त भूमि की किस्म कभी भी अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही रही है माफीदार या माफी पटेलाई शब्द सेटलमेन्ट जबामाबन्दी से आज तक चला आ रहा है जिसके कारण काश्तकार का रहन अन्तरण आदि में व्यवहारिक समास्याओं का सामना करना पडता है खातेदारों के हित में उक्त आराजी से नियमानुसार माफी पटेलाई हटाया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 495 के अनुसार माफी पटेलाई मांगीलाल कृष्णगोपाल पुत्र चतुर्भज जाति ब्राहम्ण सा0देह दर्ज रिकार्ड है तहसीलदार छबडा ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि विवादित आराजी सेटलमेन्ट के समय से माफी पटेलाई दर्ज चली आ रही है वादी खाते से माफी पटेलाई शब्द हटवाना चाहतें है वादीगण के नाम के साथ माफी पटेलाई दर्ज होने से राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड रहा है तथा भूमि पर लोन आदि लेने मे परेशानी आ रही है वादीगण अपने नाम के साथ से माफी पटेलाई हटवाने का अधिकारी है वर्तमान में नामान्तरण की प्रक्रिया ऑनलाईन होने के कारण नामान्तरण खोलने की समस्या आ रही है एवं रिकार्ड दुरूस्त नही हो पा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

इस वाद को निर्णत करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 विचाराधीन है :–

जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :– "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

आ0टी0एक्ट की धारा–15 :– प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादीगण जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर. टी. एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदार कृषक होना साबित होता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 1247/431 रकबा 1.18 बीघा भूमि में वादीगण के नाम से माफी पटेलाई शब्द हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

द संख्या 18/2021	धारा 88,89,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः–
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री कृष्ण गोपाल भार्गव–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मांगीलाल आयु 77 वर्ष पुत्र चतुर्भज जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. कृष्णगोपाल भार्गव आयु 73 वर्ष पुत्र चतुर्भज जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 1247/431 रकबा 1.18 बीघा भूमि में वादीगण के नाम से माफी पटेलाई शब्द हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.1.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		